भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 566
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कार्यात्मक नल के पानी के कनेक्शन

†566. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः
श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में ग्रामीण परिवारों को नल के जल के क्रियाशील कनेक्शन प्रदान करने संबंधी जल जीवन मिशन (जेजेएम) की वर्तमान स्थिति क्या है,
(ख) मिशन के आरंभ से अब तक कुल कितने घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं;
(ग) शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने में विशेषकर दूरस्थ और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों का समाधान करने और मिशन के अंतर्गत प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) इस मिशन के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्राप्त हुए हैं;
(ङ) वर्ष 2024 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने ग्रामीण परिवार अभी भी नल के पानी के कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जेजेएम के प्रगति संबंधी आंकड़े क्या हैं; और
(च) जेजेएम के अंतर्गत कितने गांवों को शत-प्रतिशत एफएचटीसी कवरेज प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। अगस्त 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 25.11.2024 तक, लगभग 12.07 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 25.11.2024 तक, देश के 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.30 करोड़ (79.11%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। और शेष 4.04 करोड़ को राज्यों द्वारा उनकी योजनाओं के अनुसार कवर किए जाने की संभावना है।

राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक समस्याएं हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की अल्प उपलब्धता ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

भारत सरकार ने चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन, तर्कसंगत मूल्यों पर पाइपों की सुनिश्चित तथा पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु उपयुक्त उपाय करना, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन उपलब्धता अंतराल को कम करने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल हैं।

(च) जैसा कि सूचित किया गया है, वर्ष 2023-24 में 61,365 गांवों को एचजीजे के रूप में सूचित किया गया था और वर्ष 2024-25 में (25.11.2024 तक) 34,770 गांवों को एचजीजे के रूप में सूचित किया गया है। एचजीजे के रूप में सूचित किए गए गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में है।

*****

अनुबंध

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 566 में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2023-24 और 2024-25 में हर घर जल के रूप में सूचित किए गए गांवों की संख्या

(25.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख तक कुल गांवों की संख्या	वर्ष 2023-24 से पहले एचजीजे के रूप में सूचित किए गए	वर्ष 2023-24 में एचजीजे के रूप में सूचित किए गए	वर्ष 2024-25 में एचजीजे के रूप में सूचित किए गए	आज की तारीख तक कुल सूचित किए गए
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	265	265	0	0	265
2.	आंध्र प्रदेश	15,999	2,960	1,729	85	4,774
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,133	2,615	2,497	21	5,133
4.	असम	24,204	2,057	3,161	2758	7,976
5.	बिहार	36,953	31,596	431	274	32,301
6.	छत्तीसगढ़	19,656	465	1,773	1105	3,343
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	96	96	0	0	96
8.	गोवा	373	373	0	0	373
9.	गुजरात	18,024	17,798	0	226	18,024
10.	हरियाणा	6,600	6,500	0	100	6,600
11.	हिमाचल प्रदेश	17,659	15,261	2,011	227	17,499
12.	जम्मू एवं कश्मीर	6,153	684	191	308	1,183
13.	झारखंड	29,398	622	1,847	1940	4,409
14.	कर्नाटक	26,432	4,242	1,227	844	6,313
15.	केरल	1,435	76	30	20	126
16.	लद्दाख	240	44	105	14	163
17.	लक्षद्वीप	10	0	4	4	8
18.	मध्य प्रदेश	51,011	7,340	5,256	4255	16,851
19.	महाराष्ट्र	40,289	9,454	7,312	1741	18,507
20.	मणिपुर	2,556	419	194	0	613
21.	मेघालय	6,457	1,240	941	481	2,662
22.	मिजोरम	637	205	369	63	637
23.	नागालैंड	1,425	325	471	233	1,029
24.	ओडिशा	46,422	8,712	3,221	1762	13,695
25.	पुदुचेरी	91	90	0	1	91
26.	पंजाब	11,977	11,827	0	150	11,977
27.	राजस्थान	41,917	1,108	3,172	3949	8,229
28.	सिक्किम	400	76	33	47	156
29.	तमिलनाडु	11,816	2,208	3,479	2004	7,691
30.	तेलंगाना	9,586	9,458	0	128	9,586
31.	त्रिपुरा	765	38	9	45	92
32.	उत्तर प्रदेश	97,090	6,125	15,734	8859	30,718
33.	उत्तराखंड	14,967	2,526	5,326	2622	10,474
34.	पश्चिम बंगाल	38,173	2,451	842	504	3,797
	कुल	**5,84,209**	**1,49,256**	**61,365**	**34,770**	**2,45,391**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस